साप्ताहिक

डाक पंजीयनः म.प्र./भोपाल/4-479/2019-21

RNI-MPHIN/2015/72544

जागत गांव हमार

पंचायत की विकास गाथा, सरकार तक

चौपाल से भोपाल तक

भोपाल, सोमवार, 20 सितम्बर 2021, वर्ष-7, अंक-25

भोपाल, इंदौर, उज्जैन, सागर, मुरैना से एक साथ प्रकाशित

पृष्ठ :-8, मूल्य :- 2 रुपए

प्रदेश में एक लाख 72 हजार किसानों नहीं मिले क्लेम के 306 करोड़ रुपए

- प्रधानमंत्री फसल बीमा में साल दर साल बढ़ रहा किसानों का भरोसा
- बड़ी लापरवाहीः दो साल पहले बर्बाद हो गई थी खरीफ की फसल
- खातों से प्रीमियम राशि कटी, फसल बीमा पोर्टल पर अपलोड नहीं
- कृषि प्रमुख सचिव बोले- किसान अपने-अपने जिलों में करें संपर्क

अन्नदाताओं से विश्वासघात

मध्यप्रदेश में जहां एक ओर प्राकृतिक आपदा में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों का सबसे बड़ा संबल बनी हुई है। यही नहीं, प्रदेश के किसानों का पीएम फसल बीमा की तरफ साल दर साल विश्वास बढ़ता जा रहा है। वहीं दूसरी ओर विभाग के जिम्मेदार अधिकारी किसानों के साथ विश्वासघात करने से भी बाज नहीं आ रहे हैं। अच्छे दिन और दोगुनी आय की उम्मीद लगाए बैठे किसानों में अब असंतोष भी पनपने लगा है।

अरविंद मिश्र, भोपाल

मप्र में इस साल 47 लाख किसानों ने फसल बीमा का पंजीयन कराया है। हर साल फसल बीमा कराने वाले किसानों की संख्या बढ़ती जा रही है। इसकी वजह यह है कि प्राकृतिक आपदा में फसलों के नुकसान की भरपाई शिवराज सरकार समय पर कर रही है। वहीं प्रदेश में बीमा कराने वालों की संख्या देखी जाए तो सिर्फ मंदसौर जिले में चार लाख से अधिक किसानों ने फसल बीमा कराया है। दरअसल, मध्यप्रदेश के एक लाख 72 हजार किसानों की दो साल पहले बर्बाद हुई फसल का 306 करोड़ रुपए का क्लेम अभी तक नहीं मिला है। ये हजारों किसान एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी (एआईसी), बैंक और कृषि विभाग के चक्कर काट रहे हैं। इन किसानों के बैंक खातों में प्रीमियम की रशि तो काट ली गई थी, लेकिन केंद्र सरकार के फसल बीमा पोर्टल पर किसानों और उनकी बर्बाद हुई फसल की जानकारी अपलोड नहीं की गई है। वहीं एक चर्चा के दौरान कृषि विभाग के प्रमुख सचिव अजीत केसरी ने कहा कि मप्र के एक लाख 70 हजार किसानों को 2019 में खरीफ की फसल बर्बाद होने का क्लेम अब तक क्यों नहीं दिया गया, इसकी जानकारी मुझे नहीं है। अगर किसान दो साल से बैंक और कृषि विभाग के चक्कर काट रहे हैं तो किसानों को अपने जिलों के अधिकारियों से संपर्क करना चाहिए। हालांकि मैं इसकी पूरी जानकारी निकलवाऊंगा।

कोई पैसा बकाया नहीं

अब कृषि विभाग के अधिकारी कह रहे हैं कि किसानों का कोई पैसा बकाया नहीं है, जबकि इन्हीं अधिकारियों ने किसानों की जानकारी अपडेट करने के लिए कुछ महीने पहले ही पोर्टल री-ओपन करवाया था। 2019 में प्रदेश के लाखों किसानों ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत फसल बीमा करवाया था। प्रदेश के किसान कल्याण एवं कृषि विभाग की अधिसूचना के मुताबिक 2019 में प्रदेश के 20 लाख 38 हजार 982 किसानों की खरीफ की फसल बर्बाद हो गई थी।

मार्च में फिर खुला था पोर्टल

किसानों ने जब प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत प्रीमियम कटने और फसल बर्बाद होने के बाद क्लेम की राशि नहीं मिलने की शिकायत की तो मप्र सरकार ने केंद्र सरकार से बात की और 1 से 10 मार्च 2021 प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का पोर्टल री-ओपन करवाया था। इन दिस दिनों में फसल बीमा की प्रीमियम राशि चुकाने वाले एक लाख 72 हजार किसानों की फसल बर्बाद होने और उन्हें क्लेम देने संबंधी जानकारी अपडेट कर दी गई। उसी दौरान पला चला था कि इन किसानों की करीब 306 करोड़ रुपए 2019 की खरीफ की फसल का क्लेम देना है। जानकारी अपडेट करने के बाद भी अधिकारियों ने क्लेम देने को लेकर कोई ठोस कार्रवाई नहीं की। इसके कारण किसानों का करोड़ों रुपए क्लेम अब तक अटका हुआ है।

करोड़ों करना था भुगतान

आंकलन के मुताबिक इनके नुकसान की भरपाई के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत पूरे प्रदेश में 4614 करोड़ रुपए का भुगतान किया जाना था। इस आंकलन में प्रदेश के उन एक लाख 70 हजार किसानों को नहीं जोड़ा गया जिनके बैंक खातों से फसल बीमा की प्रीमियम के तौर पर करोड़ों की राशि काटकर बीमा कंपनी को दे दी। अब इतने लंबे समय के बाद सामने आया है कि इन किसानों की बर्बाद फसल की जानकारी पोर्टल पर भी अपलोड नहीं की गई है। इसलिए किसानों के क्लेम के 306 करोड़ रुपए का भुगतान नहीं हुआ।

खेती-किसानी पर शिवराज का फोकस

मध्यप्रदेश की शिवराज सरकार का सबसे अधिक फोकस खेती-किसानी पर है। इसका परिणाम भी दिख रहा है। सीएम शिवराज खुद किसानों की समस्याओं को लेकर सदैव सक्रिय और सख्त रहते हैं, लेकिन अफसरशाही उनके प्रयासों पर पानी फेर रही है। मप्र की सरकार की योजना और किसानों को दिए जा रहे प्रोत्साहन से ही प्रदेश कई फसलों के उत्पादन में नंबर वन पर है। ऐसे में किसानों को सरकारी योजनाओं का बराबर लाभ मिल रहा है। इस कारण किसानों का रुझान फसल बीमा की ओर बढ़ा है। पिछले वर्षों से फसलों के बीमा के लिए विभाग किसानों को जागरूक करता रहा है। मप्र में पिछले तीन-चार सालों के किसान फसल बीमा का पंजीयन रिकॉर्ड देखा जाए तो प्रति वर्ष तीन लाख नए किसान इस बीमा से जुड़ रहे हैं। इस वर्ष 47 लाख किसानों ने बीमा कराया है। सरकार का लक्ष्य सौ प्रतिशत किसानों के फसल का बीमा कराना है।

लैंड रिकॉर्ड विभाग भेजेगा प्रस्ताव, 5 साल तक होगी पटवारी भर्ती, 5 हजार होगी पदों की संख्या

प्रदेश की 22 हजार पंचायतों में सरकार तैनात करेगी पटवारी

प्रशासनिक संवाददाता, भोपाल

भोपाल। यदि बेरोजगार युवा पटवारी बनने का सपना देख रहे हैं और चार साल से कोई पटवारी भर्ती परीक्षा नहीं निकलने से उदास हैं तो उनके लिए अच्छी खबर है। वापस पूरी मेहनत और लगन से पटवारी बनने के लिए तैयारी शुरू कर दें। प्रदेश में एक बार फिर बड़ी संख्या में पटवारियों की भर्ती की कवायद शुरू हो गई है। इसके लिए लैंड रिकॉर्ड विभाग ने एक प्रस्ताव तैयार किया है, जिसमें रिक्त पदों की संख्या एक हजार से बढ़ाकर पांच हजार किए जाने का प्रस्ताव है। प्रस्ताव में यह भी उल्लेखित किया गया है कि यह पांच हजार पद एक साथ न भरकर टुकड़ों में भरे जाएं। इससे शासन के वित्त विभाग पर भी आर्थिक भार नहीं बढ़ेगा। यदि प्रस्ताव पास हो जाता है तो अगले 5 साल तक लगातार हर वर्ष पटवारी भर्ती परीक्षा होगी। ऐसे युवा जो पटवारी बनने का सपना देख रहे हैं। उनके लिए आगामी 5 साल काफी अहम रहेंगे। गौरतलब है कि मप्र में लगभग 22 हजार पंचायतें हैं। इनके मुकाबले पटवारियों की संख्या सिर्फ 19 हजार है। वहीं तेजी से बढ़ते शहरीकरण की वजह से भी शहरी इलाकों में भी विभिन्न दायित्वों के लिए पटवारियों की जरूरत है। लैंड रिकॉर्ड विभाग का डाटा बताता है कि अधिकतर जिलों में दो से तीन पंचायत पर एक पटवारी है, जबकि लैंड रिकॉर्ड विभाग, राजस्व रिकॉर्ड के अपडेशन, बंदोबस्त का आधुनिकीकरण करने पंचायत स्तर पर राजस्व के कार्यों को क्वालिटी बढ़ाने के लिए एक पंचायत एक पटवारी की अवधारणा को लाना होगा। जिसके लिए ही लैंड रिकॉर्ड विभागों ने रिक्त पदों को बढ़ाने का फैसला लिया है। पटवारियों के रिक्त पदों की संख्या एक हजार है जिसमें चार हजार नए पद सृजित कर कुल रिक्त पद पांच हजार करने का प्रस्ताव है।

राजस्व के कामकाज को बेहतर बनाने के लिए हमें पटवारियों के नए पद सृजित करना पड़ेंगे। वर्तमान में रिक्त पद एक हजार हैं और उन्हें बढ़ाने का प्रस्ताव शासन को भेजने के लिए तैयार कर लिया गया है। एक पंचायत पर एक पटवारी पदस्थ करने के लिए हमें चार हजार नए पद सृजित करना होंगे। इसके लिए प्रक्रिया चल रही है। इसके साथ ही भर्ती परीक्षा के लिए भी प्रक्रिया जारी है।

-ज्ञानेश्वर बी.पाटिल, कमिश्नर, लैंड रिकॉर्ड विभाग, मप्र

शिवराज सरकार ने खोला पिटारा, किसानों से चावल और मक्का खरीदा जाएगा

मक्का और चावल से बनेगा इथेनॉल

सरकार इथेनॉल उत्पादन करने वाली औद्योगिक इकाइयों को प्रोत्साहन देगी। अभी तक 20 से ज्यादा कंपनी इथेनॉल उत्पादन में आगे आई हैं। इसमें खास यह होगा कि इथेनॉल उत्पादन में इकाइयां 100 करोड़ रुपए लगाएंगी तो उन्हें 7 साल में लगभग 60 करोड़ रुपए सरकार वापस करेगी।

प्रशासनिक संवाददाता, भोपाल

मध्य प्रदेश में भी अब इथेनॉल बनाया जाएगा। हाल ही में सरकार ने इथेनॉल पॉलिसी को मंजूरी दे दी है। यहां चावल और मक्का से इथेनॉल बनाने की योजना है। इसमें सौ करोड़ के निवेश की संभावना है। शिवराज ने बड़ा फैसला लेते हुए इथेनॉल पॉलिसी को मंजूरी दे दी है। सरकार इथेनॉल उत्पादन करने वाली औद्योगिक इकाइयों को प्रोत्साहन देगी। अभी तक 20 से ज्यादा कंपनी इथेनॉल उत्पादन में आगे आई हैं। इसमें खास यह होगा कि इथेनॉल उत्पादन में इकाइयां 100 करोड़ रुपए लगाएंगी तो उन्हें सात साल में लगभग 60 करोड़ रुपए सरकार वापस करेगी। इथेनॉल और जैव ईंधन उत्पादन करने वाली कंपनियों को वित्तीय मदद दी जाएगी। पेट्रोलियम तेल उत्पादन कंपनियों को 1.50 रुपए प्रतिलीटर की सहायता सात साल तक दी जाएगी। प्लांट लगाने के लिए जमीन खरीदने पर स्टांप ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन फीस का सौ फीसदी पैसा वापिस कर दिया जाएगा। उत्पादन शुरू होने की तारीख से 5 साल तक बिजली में भी 100 प्रतिशत छूट दी जाएगी। पेटेंट शुल्क पांच लाख रुपए तक किया जाएगा। उद्योग के लिए सड़क बनाने पर जो खर्च आएगा उसका भी 50 प्रतिशत सरकार देगी। इस नीति पर अमल के लिए एमपीआईडीसी को नोडल एजेंसी बनाया गया है।

कंपनियां 54 रुपए लीटर खरीदेंगी

प्रदेश में फिलहाल चावल और मक्का से इथेनॉल बनाया जाएगा। इसका उत्पादन होने पर पेट्रोलियम कंपनियां 51 से 54 रुपए प्रति लीटर में खरीदेंगी। साथ ही 1.50 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से प्रोत्साहन भी दिया जाएगा। सरकार का 2024 तक प्रदेश में 60 करोड़ लीटर इथेनॉल उत्पादन करने का लक्ष्य है, ताकि पेट्रोल की मौजूदा 230 करोड़ लीटर सालाना खपत में 20 फीसदी इथेनॉल मिलाया जा सके। इसके पीछे सरकार की मंशा पेट्रोलियम पदार्थों के आयात में होने वाले खर्च को रोकना है। इसके लिए प्रदेश के किसानों से चावल और मक्का खरीदा जाएगा। साथ ही गोदामों में करीब 20 लाख टन चावल रखा है, उसका उपयोग भी किया जा सकेगा।

क्या है इथेनॉल

इथेनॉल दरअसल, एक तरह का अल्कोहल है जिसका इस्तेमाल पेट्रोल में मिलाकर गाड़ियों में किया जा सकता है। वैसे तो ये गन्ने से बनाया जाता है। लेकिन जिस भी चीज में शुगर हो उससे इसे बनाया जा सकता है। इथेनॉल में 35 फीसदी ऑक्सीजन होती है। इसका उपयोग करने से कार्बन मोनोऑक्साइड का उत्सर्जन कम होता है।

केंद्र का इथेनॉल उत्पादन पर फोकस

इथेनॉल पॉलिसी के प्रारंभिक ड्राफ्ट को तैयार करने के लिए अन्य राज्यों की नीतियों का अध्ययन किया गया है। महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार और दक्षिण के कई राज्य पहले से ही इथेनॉल नीति पर काम कर रहे हैं और कुछ राज्यों में इसे लागू भी कर दिया गया है। केंद्र सरकार भी कृषि उपज से इथेनॉल बनाने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। इसके पीछे उदेश्य ईंधन के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हासिल करना है। वहीं पेट्रोल-डीजल के मुकाबले इथेनॉल करीब 50 प्रतिशत सस्ता है। ऐसे में अगर इसका बड़े पैमाने पर उत्पादन होगा तो आम लोगों को भी इसका लाभ मिलेगा। उन्हें महंगे तेल की कीमतों से छुटकारा मिलेगा।

देशी गौ-भैंस की नस्लों को विलुप्ति होने से बचाया जाएगा

देशी गौ-भैंस संरक्षण का राष्ट्रीय ब्रीडिंग सेंटर होशंगाबाद में तैयार

भोपाल। उत्तर भारत के लिए मध्यप्रदेश के होशंगाबाद जिले के पशु प्रजनन प्रक्षेत्र, कीरतपुर (इटारसी) में नेशनल कामधेनु ब्रीडिंग सेंटर की स्थापना का कार्य पूर्ण हो गया है। केंद्र का उद्देश्य भारतीय गौ-भैंस वंशीय नस्लों का संरक्षण एवं संवर्धन, उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि, अनुवांशिक गुणवत्ता का उन्नयन, प्रमाणित जर्मप्लाज्म का प्रदाय और देशी नस्लों को विलुप्ति से बचाना है। अपर मुख्य सचिव जेएन कंसोटिया ने बताया कि भारत सरकार द्वारा देश में दो नेशनल कामधेनु ब्रीडिंग सेंटर (एनकेबीसी) स्थापना की स्वीकृति दी गई है। उत्तर भारत में मप्र के कीरतपुर में और दक्षिण भारत में आंध्रप्रदेश के नेल्लोर जिले में एनकेबीसी की स्थापना की जा रही है।

प्रथम चरण में गायों की 13 नस्लें

साहीवाल, गिर, कांकरेज, रेड सिंधी, राठी, थारपारकर, मालवी, निमाड़ी, केनकथा, खिलारी, हरियाणा, गंगातीरी, गावलाव और भैंस की चार नस्लें- नीली राबी, जाफराबादी, भदावरी और मुर्रा संधारित की जाना है। कीरतपुर केन्द्र पर गायों की गिर, साहीवाल, थारपरकर, निमाड़ी, मालवी, कांकरेज, रेड सिंधी, राठी एवं खिलारी नस्ल की 195 और भैंस की मुर्रा, नीली राबी, भदावरी और जाफराबादी नस्ल की 107 के साथ हरियाणा, राठी, कांकरेज, निमाड़ी, मालवी, केनकथा और जाफराबादी नस्लों के 9 सांड उपलब्ध हैं।

इनका कहना है

केन्द्र का उद्देश्य भारतीय गौ-भैंस वंशीय नस्लों का संरक्षण एवं संवर्धन, उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि, अनुवांशिक गुणवत्ता का उन्नयन, प्रमाणित जर्मप्लाज्म का प्रदाय और देशी नस्लों को विलुप्ति से बचाना है। भारत सरकार द्वारा देश में दो नेशनल कामधेनु ब्रीडिंग सेंटर स्थापना की स्वीकृति दी गई है। मप्र के कीरतपुर में और दक्षिण भारत में आंध्रप्रदेश के नेल्लोर जिले में एनकेबीसी की स्थापना की जा रही है।

जेएन कंसोटिया, अपर मुख्य सचिव,

ब्रीडिंग सेंटर केन्द्र शासन की शत-प्रतिशत 25 करोड़ रुपए की सहायता से 270 एकड़ क्षेत्र में स्थापित किया जा रहा है। क्षेत्र में 6 नवीन पशु शेड, क्वारन्टाइन शेड निर्माण के साथ 6 पशु शेड का जीर्णोद्धार, एप्रोच रोड, मेनगेट सुरक्षा कक्ष, बोरवेल, हारवेस्टिंग टैंक, बायोगैस, ड्रेनेज चैनल, दाना-भूसा गोदाम, ट्यूबवेल खनन आदि किया जा चुका है।

एचबीएस भदौरिया, प्रबंध संचालक, पशु एवं कुक्कुट विकास निगम, मप्र

कमाई वाली मंडियों में अब रखे जाएंगे सुरक्षा गार्ड

भोपाल। प्रदेश की कमाई वाली अनाज मंडियों में अब सुरक्षा गार्ड रखे जाएंगे। मप्र राज्य कृषि विपणन बोर्ड द्वारा मंडियों की जरूरत के अनुसार कर्मचारियों की सूची मंगवाई गई है। सूची मंगवाने के बाद निविदा आमंत्रित की जाएगी। प्रदेश की कई मंडियों में चोरी की घटनाएं होने के मामले सामने आ रहे हैं। चोरी की घटनाएं लगातार बढ़ने के बाद मंडी बोर्ड भी सजग हुआ है। उधर, व्यापारियों ने मंडियों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए प्रदेश के कृषि मंत्री मंत्री कमल पटेल से मांग की थी। इसके बाद मंडी बोर्ड द्वारा कर्मचारियों की जरूरत की सूची मंडी से मंगाई गई है। मंडी बोर्ड द्वारा मंडी समितियों के प्रांगण, परिसर, कार्यालय सहित मानव संसाधन के लिए जहां जरूरत है उसकी सूची मंगवाई गई है। इसमें मंडी के बजट के साथ आवश्यकता के औचित्य की भी जानकारी मांगी गई है। मंडी बोर्ड निविदा के माध्यम से सुरक्षा अधिकारी, सुरक्षा गनमैन, सुरक्षा गार्ड, अंग्रेजी स्टेनोग्राफर, कम्प्यूटर टाइपिस्ट कम डाटा एंट्री ऑपरेटर, इलेक्ट्रिशयन कम सहायक लाइनमैन, वाहन चालक, सफाई कर्मी, माली, भृत्य एवं अन्य मानव संसाधनों की नियुक्ति कर सकता है। मंडी प्रबंधन

सीएम 207 दिन से प्रतिदिन पौधा लगा रहे

शिवराज ने पौधरोपण का बनाया रिकॉर्ड

भोपाल। दुनिया भर में अपने नवाचार और उपलब्धियों को लेकर मसहूर मप्र के सीएम शिवराज सिंह चौहान एक बार फिर चर्चा में हैं। दरअसल, मुख्यमंत्री शिवराज ने अपने नाम एक और रिकॉर्ड कायम कर लिया है। उन्होंने लगातार 200 से ज्यादा दिन तक रोज पौधे लगाने का रिकॉर्ड कायम किया है। वो लगातार 207 दिन तक पौधे लगा चुके हैं और यह क्रम निरंतर जारी है। गौरतलब है कि पर्यावरण बचाने की खातिर मुख्यमंत्री शिवराज ने 19 फरवरी को नर्मदा जयंती के मौके पर अमरकंटक में रोजाना पौधे लगाने का संकल्प लिया था। तब से लेकर अब तक वो रोज एक पौधा लगाते हैं। पौधा लगाते-लगाते उन्हें 200 से ज्यादा दिन बीक चुके हैं और अभी भी उनका ये सिलसिला जारी है।

जहां होते हैं वहां लगाते हैं पौधे

मुख्यमंत्री कई बार राजनीतिक और व्यक्तिगत कारणों की वजह से भोपाल से बाहर दौरों पर रहते हैं, लेकिन खास बात यह है कि वो पौधा लगाना कभी नहीं भूलते। वैसे आमतौर पर वो भोपाल के स्मार्ट सिटी पार्क में पौधारोपण करने जाते हैं या फिर सीएम हाउस में पौधारोपण करते हैं, लेकिन अगर उन्हें किसी वजह से भोपाल से बाहर जाना पड़ता है तो फिर वो वहीं पौधारोपण करते हैं। सीएम भोपाल के अलावा, ग्वालियर, इंदौर, दिल्ली समेत कई शहरों में पौधारोपण कर चुके हैं।

मैसेज देने का प्रयास

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पौधरोपण के ज़रिए लोगों को पर्यावरण बचाने का संदेश दे रहे हैं। वो जब भी पौधा लगाते हैं आम लोगों से ये अपील करते हैं कि वो भी पौधे जरूर लगाएं। इतना ही नहीं, कई तरीके के निर्माण के लिए मध्य प्रदेश में पौधारोपण को अनिवार्य किया गया है।

मप्र मंडी बोर्ड अच्छी पहल, किसान भी खुश, मप्र में मोबाइल एप से होगी उपज की खरीद

» वैकल्पिक व्यवस्था को स्थायी रूप देगी सरकार

» सौदे का रहेगा रिकार्ड, मंडी शुल्क भी बचेगा

प्रदेश में किसान मंडी की जगह घर से बेच सकेंगे उपज

भोपाल। कोरोना संकट में मध्य प्रदेश की मंडियां बंद रहीं तो सरकार ने किसानों के घर जाकर उपज खरीदने की छूट व्यापारियों को दी थी। इसी वैकल्पिक उपाय ने अब नई राह खोल दी है। प्रायोगिक तौर पर की गई इस व्यवस्था में किसान और व्यापारियों की भागीदारी को देखते हुए राज्य सरकार अब मोबाइल एप से खरीदी की व्यवस्था को स्थायी रूप देने जा रही है। इससे व्यापारी मंडी के बाहर भी किसान की सहमति के आधार पर उपज खरीद सकेंगे। इससे किसान को मंडी तक आने की मशक्कत से छुटकारा मिलेगा। साथ ही सरकार को मिलने वाले मंडी टैक्स में भी कमी नहीं होगी।

प्रदेश में किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों के माध्यम से प्रमुख रूप से गेहूं और धान की खरीद की जाती है। यहां किसान अपनी उपज लाते हैं और राज्य नागरिक आपूर्ति निगम और राज्य सहकारी विपणन संघ के माध्यम से खरीदी होती है। इसके अलावा व्यापारी मंडियों में बोली लगाकर उपज खरीदते हैं। कोरोना संकट के समय मंडियों में खरीदी बंद रही। इससे उन किसानों को असुविधा हो रही थी, जो उपार्जन केंद्रों में उपज नहीं बेचते हैं। इसे देखते हुए शिवराज सरकार ने सौदा पत्रक के माध्यम से मंडी बोर्ड में पंजीकृत व्यापारियों को किसानों से सीधे उपज खरीदने की अनुमति दी। इस व्यवस्था को प्रभावी बनाने के लिए मोबाइल एप तैयार किया गया। इसमें व्यापारी जब किसान के पास उपज खरीदने के लिए पहुंचता है तो उसे किसान के मोबाइल नंबर सहित पूरी जानकारी दर्ज करनी होती है।

सौदा पत्रक व्यवस्था का किया डिजिटिलाइजेशन

इसके बाद किसान के पास ओटीपी आता है और जब वो वह नंबर व्यापारी को देता है तो आगे की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। किसान और व्यापारी के बीच सौदा पक्का होने पर उपज की मात्रा एप पर दर्ज की जाती है। इसके बाद सहमति के लिए किसान के पास फिर ओटीपी आता है और जब वह उसे व्यापारी को देता है तो फिर भुगतान की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। व्यापारी जब भुगतान करता है तो फिर किसान के पास ओटीपी आता है। उसके द्वारा पुष्टि करने पर ही अनुज्ञा पत्रक जारी होता है और उपज को उठाने की अनुमति मिलती है। अपर मुख्य सचिव कृषि अजीत केसरी ने बताया कि मध्य प्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 में सौदा पत्रक का प्रविधान है। इस व्यवस्था को मोबाइल एप के माध्यम से डिजीटल रूप दिया है। किसान अपनी इच्छा से पंजीकृत व्यापारी से सौदा करता है। अभी सौदा पत्रक होता था वो कागज का था। व्यापारी गांव में खरीदी करते थे और पर्ची काट देते थे पर मंडी को सूचना तब मिलती थी, जब वो सूचना देते थे और मंडी शुल्क चुकाते था। डिजीटल व्यवस्था होने से हम निगरानी कर सकते हैं। सौदा होते ही मंडी के पास रिकार्ड आ जाता है। इसमें किसान सौदे और भुगतान को प्रमाणित करता है।

सौदा पत्रक से खरीदी के यह आए थे परिणाम

कोरोना संकट के दौरान सरकार ने व्यापारियों को मंडी के बाहर किसानों से सौदा पत्रक के माध्यम से उपज खरीदने की अनुमति दी थी। एक लाख 93 हजार 722 सौदा पत्रक जारी हुए। एक लाख 32 हजार 972 किसानों से सात लाख 91 हजार टन उपज खरीदी गई। किसानों द्वारा विक्रय की गई उपज का मूल्य दो हजार 212 करोड़ 48 लाख रुपए रहा। इससे सरकार को मंडी शुल्क के तौर पर 33 करोड़ 18 करोड़ रुपए प्राप्त हुए।

मप्र के किसान घर से अपनी उपज बेच सकेंगे, इसके लिए मंडी बोर्ड द्वारा पहल की गई है। सौदा पत्रक से खरीदी की प्रक्रिया के आशानुरूप सफलतम परिणाम आने से मप्र सरकार अब मोबाइल एप से खरीदी की व्यवस्था को स्थायी रूप देने जा रही है। व्यवस्था को निरंतर बनाए रखने के लिए समस्त मंडी सचिवों को निर्देश दिए गए हैं।

विकास नरवाल, प्रबंध संचालक,
मंडी बोर्ड, मप्र

दो करोड़ 20 लाख रुपए का वसूला राजस्व

प्रदेश में अवैध व्यापार मंडी बोर्ड का शिकंजा

भोपाल। मध्यप्रदेश की मंडी समितियों में अवैध व्यापार पर लगाम लगाने के लिए मंडी बोर्ड सख्त कदम उठा रहा है। इसके पूर्व मंडी बोर्ड के अंतर्गत समस्त सातों आंचलिक कार्यालय भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, सागर, जबलपुर, रीवा द्वारा संभागीय/मंडी समिति स्तर पर निरीक्षण दल/उड़न दस्ते का गठन कर अवैध व्यापार पर निरीक्षण और नियंत्रण की कार्रवाई की जाती रही है। इसी क्रम में प्रबंध संचालक मप्र राज्य कृषि विपणन बोर्ड भोपाल द्वारा अवैध व्यापार पर लगाम लगाने के लिए गठित निरीक्षण दल/उड़न दस्ते के माध्यम से सख्त कार्रवाई किए जाने के निर्देश दिए हैं। प्रबंध संचालक मंडी बोर्ड द्वारा समस्त संयुक्त संचालक आंचलिक कार्यालय व मंडी सचिवों को मंडी क्षेत्र में होने वाले कृषि उपज के अवैध व्यापार और अवैध परिवहन पर सतत निगरानी रखी जाकर निरीक्षण किए जाने के निर्देश दिए गए। जिसकी साप्ताहिक समीक्षा मंडी बोर्ड स्तर से वर्चुअल मीटिंग के माध्यम से किए जाने के लिए मप्र की समस्त अ ग्रेड की 39 मंडियों के लिए मंगलवार, ब ग्रेड की 42 मंडियों के लिए बुधवार, स ग्रेस की 56 मंडियों के लिए गुरुवार, द ग्रेड की 122 मंडियों के लिए शुक्रवार का दिन तय करते हुए समस्त आंचलिक अधिकारियों और मंडी सचिवों को वर्चुअल मीटिंग में अवैध व्यापार की रोकथाम के लिए सतत निरीक्षण करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही निरीक्षणों की समीक्षा भी की जा रही है। जो कि निरंतर जारी रहेगी। मंडी समिति में पदस्थ अमले द्वारा प्रबंध संचालक के निर्देशानुसार अवैध व्यापार पर नियंत्रण के लिए सख्त कदम उठाना प्रारंभ कर दिया गया है। इसका परिणाम यह रहा कि प्रदेश की समस्त मंडियों द्वारा अप्रैल-2021 से सितंबर 2021 के द्वितीय सप्ताह तक कुल 1750 वाहन/प्रतिष्ठानों का निरीक्षण कर दो करोड़ 20 लाख रुपए के करीब मंडी शुल्क में वसूल किया गया है। वहीं प्रबंध संचालक विकास नरवाल द्वारा कृषि उपज के अवैध व्यापार/ परिवहन की रोकथाम के संबंध में इमानदारी से कार्रवाई करने के सख्त निर्देश

बुंदेला विद्रोह ने बोये 1857 क्रांति के बीज

कहते हैं कि इतिहास सत्य का अन्वेषण है, लेकिन जब सत्य विजेता-प्रायोजित हो तब हमारे इतिहास के साथ यही समस्या है। इसीलिए जब 7 अप्रैल, 1818 को तत्कालीन ब्रिटिश गवर्नर जनरल के सेक्रेटरी टीएच मेडोक ने सागर और दमोह क्षेत्र को हड़पने की गरज से ब्रिटिश सरकार को भेजे गए अपने पत्र में निम्नांकित निष्कर्ष निकाला तो वे एकदम झूठ बोल रहे थे। उन्होंने लिखा- इस क्षेत्र के निवासी पूरी तरह शांत हैं और ब्रिटिश सरकार की छत्र- छाया में रखे जाने की संभावना से बेहद खुश हैं। यथार्थतः स्थिति एकदम उलट थी क्योंकि इस इलाके के लोग अंदर ही अंदर अंग्रेजों के विरुद्ध सशस्त्र विद्रोह की रचना रच रहे थे।

सन् 1817-18 में अप्पा साहब भोंसले की पराजय के बाद मराठों का पराभव हो चुका था और सागर तथा दमोह क्षेत्र पर अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया था। दस मार्च, 1818 को अंग्रेजों ने समस्त चौधरियों, कानूनगो, जमींदारों और इलाके की रियाया के नाम बाकायदा घोषणा जारी करके बता दिया था कि अब से यहां अंग्रेजी राज कायम हो गया है। यही वह इलाका था जिसे अंग्रेजों ने सागर और नर्मदा क्षेत्र घोषित किया था। जिसमें जबलपुर, मंडला, सिवनी, बैतूल, होशंगाबाद, नरसिंहपुर, सागर और दमोह जिले आते थे। इसी क्षेत्र में 1857 की क्रांति के 15 साल पहले 1842 में जो विद्रोह हुआ उसे ही बुंदेला विद्रोह का नाम दिया गया है। यद्यपि इसे बुंदेला विद्रोह कहा गया, किन्तु इसमें क्षेत्र के ठाकुरों के अलावा गोंड आदिवासियों, लोधियों, कुर्मियों आदि ने भी सक्रिय भाग लिया। यह विद्रोह बुनियादी रूप से अंग्रेजों द्वारा लागू की गई उस शोषणकारी भूमि व्यवस्थापन नीति के विरुद्ध था जिसमें लगान की दरें पांच से पंद्रह गुना तक कर दी गई थीं। ये दरें तो भूमिपतियों पर भी भारी पड़ रही थीं। बड़ी संख्या में छोटे-बड़े किसानों को बेदखल कर दिया गया। जागीरदारों-जमींदारों का अपमान किया गया। अंग्रेजों द्वारा नियुक्त अफसरों ने खूब अत्याचार किए। परंपरागत पंचायत व्यवस्था ध्वस्त कर दी गई। नई न्यायिक व्यवस्था उन अंग्रेज अफसरों के हाथ में थी, जो फिलहाल स्थानीय बोली तो क्या हिंदी-उर्दू से भी अनभिज्ञ थे। विदेशी शासकों ने सदियों से स्थापित धार्मिक-सामाजिक संस्थाओं को समाप्त कर दिया था। ब्रिटिश शासकों ने यहां जिस तरह का प्रशासन स्थापित किया उसकी निरंकुशता पर प्रकाश डालने के लिए स्वयं आरएम बर्ड की रिपोर्ट का वह उदाहरण काफी है, जो बर्ड्स रिपोर्ट ऑन द सागर एंड नर्मदा टेरिटरीज से लिया गया है। प्रत्येक जिले का प्रशासन उसके प्रभारी अधिकारी की मनमर्जी से चलता था। सारा इलाका कमिश्नर के स्व-विवेक पर निर्भर था, जो कभी-कभी सनक और स्वेच्छाचार के सीमांत छू लेता था। बाद में इस विद्रोह के कारणों की जांच करके उस पर रिपोर्ट देने के लिए कर्नल स्लीमेन नियुक्त हुए। उन्होंने साफ कबूल किया- एक कमजोर तथा लोलुप सरकार के कारण अव्यवस्थाएं फैल गईं, सरकार सिर्फ ताकतवर के ही अधिकार का सम्मान कर सकती थी। इसलिए ताकत की अभिव्यक्ति लूटमार में होने लगी, यह उन प्रमुख कारणों में से एक था जिनके कारण सागर-दमोह संभाग में विद्रोह हुआ। अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह की शुरुआत सागर के उत्तर में नारहट के बुंदेला ठाकुरों ने 8 अप्रैल 1842 को ब्रिटिश पुलिस पर हमला कर की। इन लोगों ने समीपस्थ मालथौन, खिमलासा और गढ़ाकोटा पर कब्जा करने के लिए अभियान शुरू किया। सागर के ब्रिटिश अफसर एमसी ओमन्नी ने नारहट के ढोकुल सिंह के अलावा राव विजय बहादुर, मधुकर शाह आदि को सागर बुलवाया। राव विजय बहादुर ओमन्नी से मिले, लेकिन कोई हल नहीं निकला। अगले दो दिनों में विद्रोहियों ने नारहट और खिमलासा पर कब्जा कर लिया। नारहट में मजबूत गढ़ी थी और खिमलासा तो पूरी तरह किलेबंद था। यह विद्रोह आसपास के एक दर्जन से भी अधिक स्थानों पर फैल गया। यद्यपि शाहगढ़ के राजा अर्जुन सिंह ने अंग्रेजों की सहायता की लेकिन विद्रोही भारी पड़ने लगे थे। बुंदेलखंड के अंग्रेज पॉलिटिकल एजेंट एस फ्रेजर ने रिपोर्ट दी-हमारे सवारों और पुलिस की हत्या का निर्विवाद तथ्य यह है कि हमारी सीमाओं पर बुंदेला ठाकुरों के बीच गंभीर असंतोष है। आम जनता इनके साथ है। हमने विद्रोह को प्रारंभ में हलके में लेने की गलती की। गौरतलब है कि नारहट की लड़ाई में बुंदेले अंग्रेजों पर इतने भारी पड़े थे कि कैप्टन राल्फ वहीं मारा गया था। नरियावली और खुरई भी विद्रोहियों की लपेट में थे। अंग्रेजों को विद्रोह की गंभीरता का अहसास बहुत समय बाद हुआ। उन्होंने नागपुर से लेफ्टिनेंट कर्नल वाटसन के नेतृत्व में एक फील्ड फोर्स भेजी और बुंदेलखंड लीजियन और सीपरी कंटिंजेंट के अलावा भोपाल से भी एक फौंजी टुकड़ी को विद्रोह दबाने के लिए भेजा। दरअसल, बीना नदी के तट पर बुंदेला ठाकुरों ने एक बड़ा संघ बना लिया था, लेकिन समीपस्थ रियासतों ने अंग्रेजों की मदद की। जवाहर सिंह, मधुकर सिंह, गणेशजू तथा विक्रमजीत के नेतृत्व में विद्रोहियों ने संगठित होकर जून 1842 के प्रथम सप्ताह में अंग्रेजों से बिनेका तहसील के बर्रा ग्राम में भीषण युद्ध किया। नौ जून को पंचमनगर के पास पुन: कैप्टन मेकिंटोश के नेतृत्व में अंग्रेजों ने विद्रोहियों को घेरा। अंग्रेजों को ऐसा लगा कि देशी पुलिस इन लोगों के विरुद्ध कोई ठोस कार्रवाइ नहीं कर रही है। अत: 9 जुलाई, 1842 को फ्रेजर ने एक घोषणा करके देशी सैनिकों को बहुत लालच दिए। उसने बिनेका के तहसीलदार रामचंद्र राव को बर्खास्त कर दिया। बारह जुलाई को फ्रेजर शाहगढ़ के राजा बखतबली शाह से मिला और विद्रोह दबाने में उसकी सहायता मांगी। लेफ्टिनेंट गवर्नर के सेक्रेटरी हेमिल्टन ने लिखा कि- अगर राजा को ब्रिटिश संरक्षण चाहिए तो वह विद्रोह को दबाकर सिद्ध करें कि वह ऐसा संरक्षण पाने योग्य हैं। जुलाई और अगस्त 1842 में भी सागर क्षेत्र विद्रोहियों की चपेट में रहा। यद्यपि कैप्टन ओ. ब्रियेन ने विद्रोहियों के खिलाफ अनेक अभियान किए, लेकिन अंग्रेजों का विरोध बराबर जारी रहा। अगस्त 1842 में बहरोल के पास विद्रोहियों से मुठभेड़ में ले. हर्बर्ट बुरी तरह घायल हो गया। जिस गोली से वह घायल हुआ था वह बहरोल के लोधी प्रमुख ठाकुर मलखान सिंह की हवेली से आई थी। सितंबर 1842 तक जबलपुर भी विद्रोह की चपेट में आ गया। यहां हीरापुर के राजा हिरदेशाह विद्रोहियों के नायक थे। उनके पास लगभग 15 हजार सशस्त्र सैनिक थे और बारह हजार रुपए की लगान माफी थी। उन्होंने नर्मदा और हिरण नदियों में नावों पर कब्जा कर लिया। साथ ही हीरापुर से अंग्रेजों का संपर्क काट दिया। हीरापुर नगर नर्मदा और हिरण के संगम पर था। राजा के पास तोपें भी थी। आसपास के ठाकुर राजा से मिल गए थे। जन. थाम्ब के मातहत अनेक फौजी टुकड़ियों ने हिरदेशाह के खिलाफ मुहिम चलाई, लेकिन वे उनके हाथ नहीं आए। कं. क्लेमेंट ब्राउन ने लिखा है कि अस्थायी रूप से ही सही, लेकिन राजा ने नर्मदा पर स्थित नरसिंहपुर, सागर और जबलपुर के बड़े भाग पर हमारी सत्ता उखाड़ फेंकी थी। नरसिंहपुर में खजाने की रक्षा करने में के. मेक्लाड को पसीने छूट गए थे। हीरापुर के पास सांकल में दशहरा उत्सव के दौरान अंग्रेजों को खूब छकाया। ऐसा लगता था कि विद्रोही बरमान घाट की नावों पर भी कब्जा करने वाले हैं। होशंगाबाद जिले की नर्मदा घाटी में लोधी प्रमुखों ने भीषण विद्रोह कर दिया। इस क्षेत्र के प्रमुख नेताओं में मदनपुर के देहलन सिंह गोंड़, धिलवार के नटवर सिंह गोंड़, घुघरी के नटवर सिंह लोधी, नदिया के अजीत सिंह लोधी, सुआवला के रणजोर सिंह बुंदेला और सावंत सिंह उल्लेखनीय हैं।

कोविड टीकाकरण में आगे बढ़ता मप्र

डॉ. संतोष शुक्ला, संचालक टीकाकरण राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन मध्यप्रदेश

कोरोना जैसी घातक बीमारी से बचाव के दो ही महत्वपूर्ण शस्त्र हैं। एक वैक्सीन और दूसरा मास्क। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार इन दोनों शस्त्रों का उपयोग कर कोरोना को हराने की अपील प्रदेशवासियों से कर रहे हैं। अब समय आ गया है कि हम सब इस अपील को जीवन में उतारें। घर के बाहर निकलते ही मास्क जरूर लगाएं। इसके साथ ही वैक्सीनेशन महा-अभियान में सक्रिय भागीदारी निभाएं। निर्धारित टीकाकरण केन्द्रों में स्वयं और अपने परिजनों को वैक्सीन लगवाने के साथ ही पड़ोसियों को भी इसके लिए प्रेरित करें। कोरोना की तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए जरूरी है कि सभी डबल सुरक्षा के लिए वैक्सीन का दूसरा डोज भी लगवाएं। कोविड-19 वैक्सीनेशन सभी जिलों में हो रहा है। प्रदेश में अभी तक 4 करोड़ से अधिक लोगों को टीका लग चुका है। इनमें किसी को भी गंभीर प्रतिकूल प्रभाव (साइड इफेक्ट) की रिपोर्ट टीकाकरण सेंटर में नहीं मिली है। कुछ लोगों में कोविड-19 के प्रति विभिन्न प्रकार की भ्रांतियां हैं। खासतौर से गांवों और ग्रामीण क्षेत्रों में, जिनका वास्तविकता से कोई लेना-देना नहीं है। जैसे टीका लगवाने के कुछ दिन बाद मेरे पड़ोसी की मृत्यु हो गयी, टीका लगवाने के बाद बीमार हो गए, इससे नसबंदी हो जाती है, फेंफड़े खराब हो जाते हैं, टीका लगवाते ही कोरोना हो जाता है आदि। यह सब भ्रांतियां सत्य से कोसो दूर हैं। टीका पूरी तरह से असरकारी और हानिरहित है। आज तक कोई ऐसी दवा नहीं बनी है, जिससे किसी को बीमार किया जा सके। अफवाहों पर हमें ध्यान नहीं देना है। टीका हमारा दोस्त है, दुश्मन नहीं। हमें डरना नहीं है, बल्कि इस बात को समझना है कि टीके से ही हमने बड़ी माता (स्माल पॉक्स), पोलियो और नवजात शिशुओं में टिटनेस जैसी बीमारियों का अंत किया है। टीका लगवाने के बाद कुछ लोगों को एक-दो दिन बुखार या बदन दर्द जैसे कुछ लक्षण आना सामान्य बात है। यह एकदम मामूली प्रभाव है, जो कुछ ही घंटों में समाप्त हो जाते हैं। शरीर का प्रतिरक्षा तंत्र विकसित होने की प्रक्रिया में यह लक्षण आना सामान्य बात है। टीके का नसबंदी से दूर-दूर तक कोई संबंध नहीं है। यह कोरी अफवाह है। टीका लगवाने से फेंफड़े खराब होने की बात भी पूरी तरह से तथ्यहीन है। फेंफड़े कोरोना संक्रमण से खराब होते हैं। यह टीका तो कोरोना संक्रमण से प्रभावी सुरक्षा देता है। विशेषज्ञों के अनुसार यह टीका किशोरी बालिकाओं और महिलाओं द्वारा माहवारी के दौरान भी लगवाया जा सकता है। यह धारणा सही नहीं है कि टीकाकरण तो गर्भवती महिलाओं और शिशुओं का किया जाता है, बड़ों का नहीं। समझदारी इसी में है कि हम उपायों का पालन करें न कि इसमें कि बीमार होकर फिर उपचार कराएं।

ब्रह्मचर्य हमें सदाचरण और सामाजिक संस्कृति की देता है सीख

-डॉ. महेंद्र कुमार जैन 'मनुज', इंदौर

उत्तम ब्रह्मचर्य हमें सदाचरण और सामाजिक संस्कृति की सीख देता है। स्वयं में निवास करना, आत्म की पहचान करना ब्रह्मचर्य है। आत्मा ही ब्रह्म है, उस ब्रह्म स्वरूप आत्मा में चर्या करना, रमण करना वास्तविक ब्रह्मचर्य है। ब्रह्मचर्य जो हमारी साधना का मूल है, सभी साधनाओं में ब्रह्मचर्य को सबसे प्रमुख स्थान दिया गया है।

मनुष्यों की ऊर्जा इंद्रिय-द्वारों से निरंतर बाहर की ओर बहती रहती हैं। जिससे उसकी शक्ति क्षीण होती रहती है। ब्रह्मचर्य उस ऊर्जा को केंद्रित कर आत्म स्फूर्ति प्रदान करता रहता है। तेजस्विता को बल प्रदान करता है। ब्रह्मचर्य धर्म का पालन करने से शक्ति का संचार होता है। स्मरण शक्ति बढ़ती है और चेहरे पर चमक आती है। ब्रह्मचर्य धर्म के निर्वाह के लिए इंद्रियों पर नियंत्रण रखना जरुरी है। ब्रह्मचर्य को धारण करने का मतलब स्त्री-पुरुषों का एक-दूसरे के संसर्ग से दूर रहना मात्र नहीं हैं, अपितु शरीर की अशुचिता को समझकर काम से विरत होने का नाम ब्रह्मचर्य है। जिसकी दृष्टि आत्मा पर केंद्रित हो जाती है, उसके हृदय में ब्रह्मचर्य का विलास प्रकट होता है और जिसकी दृष्टि में केवल शरीर होता है वह भोग की वासना का शिकार बनता है। शीलव्रत को नौ वाड़- जैसे खेत की सुरक्षा के लिए बाड़ लगाई जाती है उसी तरह शील को नौ बड़ों से सुरक्षित रखने की बात कही है। डॉ. श्रेयांस जी ने कहा है कि-शीलव्रत की सुरक्षा के लिए अधोलिखित नौ बातों का अवश्य ही पालन करना चाहिए। इन शील रक्षा के उपायों का जो पालन करता है उसका ब्रह्मचर्य पूर्ण सुरक्षित रहता है। महाभारत में कहा गया है कि 'परं तत्सर्व धर्मेभ्यस्तेन यान्ति परां गतिम्' अर्थात ब्रह्मचर्य सब धर्मों में सर्वश्रेष्ठ धर्म है और इससे परम पद की प्राप्ति होती है। इसीलिए दशधर्मों में इसे सबसे अंतिम धर्म के रूप में कहा है। सभी धर्मों का यह फल है। हमें तुलसीदास जी के जीवन का वो प्रसंग हमेशा याद रखना चाहिए जब तुलसीदास अपने विवाह के उपरांत अपनी धर्मपत्नी के विछोह को नहीं सह पाए और बिना सूचना के रात-अंधेरे उससे मिलने की तत्परता में चल दिए। कहते हैं कि जब निकले तो नदी में प्रचुर पानी था, प्रवाह था और नदी उफान पर थी, लेकिन मन में था कि मुझे प्रिया से मिलना है। कोई सहारा नहीं मिला, बिजली चमकी और कुछ तैरता हुआ तख्ता सा दिखाई पड़ा, उसके सहारे ही तैरकर नदी के इस पार से उस पार पहुंच गए। एकदम तेज वेग के साथ बहती हुई नदी को उन्होंने पार कर लिया और पार करते ही जैसे ही बिजली चमकी तो देखा जिसे मैं तख्ता समझा था, वह तो मुर्दा था। एक शव के सहारे नदी पार कर गए, निकले और पहुंच गए अपनी ससुराल, लेकिन आधी रात में बिना सूचना के पत्नी के यहां कैसे पहुंचे, यह बड़ा उनको पशोपेश लग रहा था और सोचा चलो सरप्राइज देना चाहिए। देखा कहां से जाया जाए? घर में दीप जल रहा था, लगा कि उसे कहीं संप्रेषण हो गया, वह मेरी प्रतीक्षा कर रही है, खिड़की खुली है, इसी मार्ग से चला जाए, कैसे चढ़ें यह रस्सी लटक रही है और लटकती हुई रस्सी के सहारे चढ़ गए। ऊपर चढ़े और जैसे ही अपनी धर्मपत्नी के पास पहुंचे और देखे, ये क्या, तुम यहां अचानक कैसे? तुलसीदास जी बोले, बस ऐसे ही तुम्हारी याद में। ऊपर कैसे आए, तुमने ही तो रस्सी लटका रखी थी। जब बिजली के प्रकाश में तुलसीदास जी ने देखा तो वहां रस्सी नहीं सांप लटक रहा था। रत्नावती एकदम अंदर से उद्वेलित हो उठी, धिक्कार है तुम्हें, जो मेरे पीछे अपनी जान हथेली पर रख कर के यहां आए। नदी कैसे पार किया, वो पूरी कहानी भी सुना दी, तब उन्होंने थोड़ा सा संबोधन दिया था और कहा था-जैसा प्रेम है नारि से वैसा हरि सों होए। चलो जाए संसार सों, पला न पकड़े कोए। मेरे हाड़-मांस के प्रति तुम्हारे मन में जितना प्रेम है, उतना प्रेम तुमने यदि राम से किया होता तो तुम संसार में भटके नहीं होते, धिक्कार है। तुम्हें जो इस हाड़-मांस के शरीर से रमने की इच्छा रख कर अपनी जान को दांव पर लगा कर यहां आ गए। अपने भीतर के राम को पहचानो, काम को छोड़ो। कहते हैं की ये एक वाक्य तुलसीदास जी के हृदय परिवर्तन का आधार बन गया फिर तुलसी, तुलसी नहीं रहे, गोस्वामी तुलसीदास बन गए, यह परिवर्तन है। मुनिश्री प्रमाणसागर जी ने दशलक्षण धर्म पर बहुत सारगर्भित प्रवचन किए हैं। हमारे पुराणों में ऐसे अनेक आख्यान भरे पड़े हैं, जिनने गृहस्थ अवस्था में भी अपने ब्रह्मचर्य के तेज से नये आदर्श उपस्थित किए।

50.2 फीसदी किसान परिवारों ने लिया कर्ज

देश में 50 फीसदी किसान कर्जदार

» पांच साल में औसत लोन 47000 से बढ़कर 74121 हुआ

» किसानी, पशुपालन करने वाला हर दूसरा किसान कर्ज में डूबा

नई दिल्ली/भोपाल। मोदी सरकार किसानों की आय दोगुनी करने का हर संभव प्रयास कर रही है। सरकार किसान सम्मान निधि योजना के जरिए किसानों की मदद कर रही है। लेकिन अब भी देश में आधे से अधिक किसान परिवार कर्ज के बोझ तले दबे हैं। देश में खेती-बाड़ी करने वाले आधे से अधिक परिवार कर्ज के बोझ तले दबे हैं। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) के एक सर्वे के अनुसार 2019 में 50 प्रतिशत से अधिक कृषक परिवार कर्ज में थे और उन पर प्रति परिवार औसतन 74 हजार 121 रुपए कर्ज था।

सर्वे में कहा गया है कि उनके कुल बकाया कर्ज में से केवल 69.6 प्रतिशत बैंक, सहकरी समितियों और सरकारी एजेंसियों जैसे संस्थागत स्रोतों से लिए गए, जबकि 20.5 प्रतिशत कर्ज पेशेवर सूदखोरों से लिए गए। इसके अनुसार कुल कर्ज में 57.5 प्रतिशत ऋण कृषि उद्देश्य से लिए गए। सर्वे में कहा गया है कि कर्ज ले रखे कृषि परिवारों का प्रतिशत 50.2 प्रतिशत है। 10 सितंबर 2821 को जारी ग्रामीण भारत में परिवारों की स्थिति का आकलन और परिवारों की भूमि जोत, 2019 शीर्षक वाली रिपोर्ट में बताया गया है कि प्रति कृषि परिवार बकाया ऋण की औसत राशि 74,121 रुपए है। एनएसओ ने जनवरी-दिसंबर 2019 के दौरान देश के ग्रामीण क्षेत्रों में परिवार की भूमि और पशुधन के अलावा कृषि परिवारों की स्थिति का आकलन किया।

मप्र में भी बढ़े कर्जदार!

ग्रामीण सर्वेक्षण में पाया गया कि हरियाणा, पंजाब, असम, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, ओडिशा और मध्य प्रदेश में लोगों ने अन्य राज्यों की तुलना में अधिक कर्ज लिया था। त्रिपुरा में 13 फीसदी को जमीन बेचनी पड़ी या फिर गिरवी रखनी पड़ी और 20 फीसदी को अपना कीमती सामान बेचना पड़ा। पश्चिम बंगाल में 22 प्रतिशत लोगों के पास आभूषण थे और 17 प्रतिशत लोगों को अपना कीमती सामान बेचना या गिरवी रखना पड़ा था। सर्वेक्षण के अनुसार, भारत में पिछले 5 वर्षों में किसान परिवारों पर औसत कर्ज 58 फीसदी बढ़ गया है।

कृषक परिवार 9.3 करोड़

सर्वे के अनुसार कृषि वर्ष 2018-19 (जुलाई-जून) के दौरान प्रति कृषक परिवार की औसत मासिक आय 10,218 रुपए थी। इसमें से मजदूरी से प्राप्त प्रति परिवार औसत आय 4,063 रुपए, फसल उत्पादन से 3,798 रुपए, पशुपालन से 1,582 रुपए, गैर-कृषि व्यवसाय 641 रुपए तथा भूमि पट्टे से 134 रुपए की आय थी। इसमें कहा गया है कि देश में कृषि परिवार की संख्या 9.3 करोड़ अनुमानित है। इसमें अन्य पिछड़े वर्ग (ओबीसी) 45.8 प्रतिशत, अनुसूचित जाति 15.9 प्रतिशत, अनुसूचित जनजाति 14.2 प्रतिशत और अन्य 24.1 प्रतिशत है।

बीस राज्यों में हुआ सर्वे

इधर, साल 2020 में एक निजी संस्था ने 20 राज्यों और तीन केंद्र शासित प्रदेशों के 179 जिलों में 25,300 लोगों के साथ आमने-सामने अपनी तरह का पहला राष्ट्रीय ग्रामीण सर्वे किया। सर्वेक्षण में पाया गया कि 20 प्रतिशत लोगों ने कहा कि उन्हें लॉकडाउन से निपटने के लिए जमीन, गहने और कीमती सामान गिरवी रखना या बेचना पड़ा। अन्य 23 प्रतिशत को विभिन्न खर्चों को पूरा करने के लिए किसी से कर्ज तक लेना पड़ा था।

दो प्रतिशत के पास 10 हेक्टेयर जमीन

गांवों में रहने वाले गैर-कृषि परिवार की संख्या 7.93 करोड़ अनुमानित है। इससे यह भी पता चला कि 83.5 प्रतिशत ग्रामीण परिवार के पास एक हेक्टेयर से कम जमीन है। जबकि केवल 0.2 प्रतिशत के पास 10 हेक्टेयर से अधिक जमीन थी। इस बीच, एनएसओ ने कहा कि 30 जून, 2018 की स्थिति के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में कर्ज लेने वाले परिवार का प्रतिशत 35 था (40.3 प्रतिशत कृषक परिवार, 28.2 प्रतिशत गैर-कृषि परिवार) जबकि शहरी क्षेत्र में यह 22.4 प्रतिशत (27.5 प्रतिशत स्व-रोजगार से जुड़े परिवार, 20.6 प्रतिशत अन्य परिवार) थे।

शहरों में 13.3 प्रतिशत परिवारों पर कर्ज

एनएसओ ने राष्ट्रीय नमूना सर्वे के 77वें दौर के तहत अखिल भारतीय कर्ज और निवेश पर ताजा सर्वे जनवरी-दिसंबर, 2019 के दौरान किया। सर्वे में यह भी पाया गया कि ग्रामीण क्षेत्रों में कर्ज ले रखे परिवारों में से 17.8 प्रतिशत परिवार संस्थागत एजेंसियों से (जिनमें 21.2 प्रतिशत कृषक परिवार और 13.5 प्रतिशत गैर-कृषक परिवार) जबकि शहरी क्षेत्रों में 14.5 प्रतिशत परिवार संस्थागत कर्जदाताओं से (18 प्रतिशत स्व-रोजगार करने वाले तथा 13.3 प्रतिशत अन्य परिवार) कर्ज ले रखे थे। इसके अलावा ग्रामीण भारत में करीब 10.2 प्रतिशत परिवारों ने गैर- संस्थागत एजेंसियों से कर्ज लिया जबकि शहरी भारत में यह संख्या 4.9 प्रतिशत परिवार थी।

पशुपालकों को दी गई महत्वपूर्ण जानकारी,

निकरा परियोजना अंतर्गत पशु स्वास्थ्य शिविर का आयोजन

रतलाम, कृषि विज्ञान केंद्र जावरा (रतलाम) द्वारा निकरा परियोजना अंतर्गत दिनांक 14.09.2021 को पशु स्वास्थ्य शिविर का आयोजन ग्राम सबलगढ़, तहसील पिपलौदा, जिला रतलाम में किया गया । कायज़्क्रम का शुभारंभ विजय चौरसिया, उपसंचालक कृषि, जिला रतलाम द्वारा किया गया। इन्होंने अपने उद्बोधन मे पशु स्वास्थ्य शिविर की महत्ता के बारें में प्रकाश डालते हुए उपस्थित कृषकों/ गौ-पालको को संबोधित किया। । कार्यक्रम में उपस्थित डॉ. सर्वेश त्रिपाठी, वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं प्रमुख

ने पशुओं के स्वास्थ्य संबंधी महत्वपूर्ण जानकारी कृषकों/गौ-पालको को प्रदान की । सभी पशुपालकों को जिसमें गाय, भैंस, एवं बकरी आदि लगभग 250 पशुओ को डॉ. सुशील कुमार, विषय वस्तु विशेषज्ञ (पशु पालन) एवं पशु चिकित्सा अधिकारी डॉ. मनीष अहिरवार एवं उनकी टीम द्वारा पशुओं के स्वास्थ्य की जांच करके उनका उपचार किया गया । उपचार के साथ - साथ पशुओं का टीकाकरण भी किया गया। जिससे इन्हें आने वाले संक्रामक बीमारियों से बचाया जा सकें । निकरा को.-पी.आई. डॉ. जी.पी. तिवारी द्वारा कृषकों को उनके पशुओं हेतु दवाईयों के वितरण में सहयोग किया गया ।

बागवानी फसल में पोषक तत्वों की जानकारी

डॉ. रोहताष सिंह भदौरिया, विषय वस्तु विशेषज्ञ (उद्यानिकी) ने उपस्थित कृषकों को बागवानी फ़सल उत्पादन में पोषक तत्वों की महत्ता के बारें में जानकारी प्रदान की । डॉ. योगेश कुमार साहू, यंग प्रोफेशनल - ।।, निकरा परियोजना द्वारा सभी कृषकों का पंजीयन किया गया। पशु स्वास्थ्य शिविर के आयोजन के दौरान ग्राम के सरपंच पीरूलाल खराड़ी जी उपस्थित थे । उक्त शिविर में लगभग 63 कृषक/गौ-पालक अपने पशुओ के साथ उपस्थित रहें । पशु स्वास्थ्य शिविर के समापन उपंरात वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं प्रमुख तथा उपसंचालक कृषि द्वारा क्लस्टर प्रक्षेत्र परीक्षण प्लाट /अग्रिम पंक्ति प्रदर्शन (तिलहन) के प्रर्दशन प्लाटों का निरीक्षण किया गया, जिसमें सोयाबीन प्रजाति जे.एस. - 2034 लगी हुई थी, साथ ही निकरा परियोजना में चल रही गतिविधियों का भी अवलोकन किया गया ।

जैविक खाद बनाने वाले प्लांट बन गए कचरा

‘गोबर’ में डूब गया मुरैना ननि का करोडों रुपया

अवधेश डंडोतिया, मुरैना। मुरैना शहर में कचरे के साथ फेंके जाने वाले गोबर से जैविक खाद (केंचुआ पद्धति से) बनाकर, नगर निगम की आय बढ़ाने की योजना बनाई गई थी, इसके लिए जैविक खाद के कई प्लांट बनाए, लेकिन यह योजना परवान नहीं चढ़ सकी। योजना तो गोबर से जैविक खाद बनाक करोड़ों रुपए कमाने की थी, लेकिन हकीकत यह है कि जैविक खाद प्लांट पर नगर निगम ने जितना खर्च किया वह भी डूब गया और जैविक खाद बनाने के यह प्लांट खुद ही कचरे में तब्दील हो गए। पूरे प्रदेश में मुरैना शहर ऐसा है, जहां हर रोज जितना कचरा निकलता है उसमें आधी से ज्यादा मात्रा में मवेशियों का गोबर होता है। नगर निगम के आंकड़ों के अनुसार मुरैना शहर में 19 हजार 500 से ज्यादा भैंसे पाली जा रही हैं। शहर के कॉलोनी, मोहल्लों की सड़कों से लेकर पार्कों तक में यह भैंस बांधी जा रही है। इन भैसों से इतना गोबर निकलता है कि रोज सुबह सड़कों के किनारे से गोबर को उठाने के लिए एक दर्जन से ज्यादा डंपर व ट्रैक्टर-ट्रॉली, मिनी जेसीबी लगाई जाती है।

प्रतिदिन 48 टन गोबर

नगर निगम के रिकॉर्ड अनुसार शहर में हर रोज 92 से 95 टन कचरा निकलता है, इसमें से 45 से 48 टन गोबर होता है। इस गोबर के कारण अधिकांश नाले-नालियां चोक हो गए हैं। डोर-टू-डोर कचरा कलेक्शन जाने वाले वाहनों में कचरे से ज्यादा गोबर भर दिया जाता है। यह गोबर कचरे में फेंका जाता है। समस्या को खत्म करने के लिए नगर निगम ने छह माह पहले इसी गोबर से केंचुआ पद्धति से जैविक खाद बनाने की योजना बनाई। इसके लिए निगम ने मुरैना कृषि विज्ञान केंद्र की मदद ली। देवरी गौशाला के पास जैविक खाद बनाने का प्लांट बनाया। इससे पहले पुराने बस स्टैंड स्थित ननि के गाड़ी अड्डा में भी ऐसा ही एक प्लांट बनाया। अब दोनों प्लांट में मिट्टी व कचरा भरा है। इनसे एक बार भी जैविक खाद नहीं बनाया गया।

गोबर देख भाग गई कंपनी

हर साल स्वच्छता अभियान में पिछड़ने के बाद नगर निगम ने 2018 में शहर की सफाई व्यवस्था निजी कंपनी को सौंप दी। सफाई का ठेका लेने वाली ईको ग्रीन नाम की कंपनी ने कुछ महीने काम किया। कंपनी के कर्मचारी व वाहन जहां-जहां कचरा एकत्रित करने जाते वहां उन्हें गोबर सबसे ज्यादा मिलता। कचरा कलेक्शन वाहनों में इतना गोबर भर दिया जाता कि वाहन गड्ढों में फंस जाते। गोबर के कारण ठेका कंपनी ऐसी परेशान हुई, कि अमानत राशि निगम को जब्त कराकर काम बंद करके चली गई। उसके बाद कोई कंपनी सफाई का ठेका लेने तैयार नहीं हुई।

मवेशी पालन का बढ़ा चलन

मुरैना शहर में मवेशियों की संख्या इतनी है, जितनी शायद ही किसी नगर निगम में हो। हालत यह है कि एक घर में दो से चार-चार भैंस बंधी हैं। लोगों के पास मवेशी बांधने के लिए घर में जगह नहीं, लेकिन वह सड़क किनारे, गलियों में और यहां तक कि डिवाइडरों के किनारे खूंटा गाड़कर मवेशी बांध रहे हैं। इसके पीछे का कारण बड़ा रोचक है। मुरैना जिले में मिलावटी व नकली दूध का डर ऐसा है, कि अधिकांश लोग डेयरियों से दूध खरीदने में डरते हैं। बस इसी डर ने शहर में भैसों की संख्या बढ़ा दी है। नकली व मिलावटी दूध से बचने के लिए लोग अपने आस-पास ही पल रही किसी भैंस का दूध खरीदते हैं।

यह बात सही है कि प्रदेश के किसी भी नगर पालिका या नगर निगम क्षेत्र में इतना गोबर नहीं निकलता, जितना मुरैना में निकलता है। कचरा कलेक्शन वाहनों तक को लोग गोबर से भर देते हैं। हम इस समस्या का कोई हल निकालने के लिए मंथन कर रहे हैं। गोबर से खाद बनाने के प्लांट कितने कारगर हैं, इसकी समीक्षा कर उन्हें फिर से शुरू करने की योजना बनाएंगे।
संजीव कुमार जैन, कमिश्नर, नगर निगम मुरैना

उज्जैन में ड्रोन ने खींची मालिकाना हक की तस्वीर

उज्जैन। मध्य प्रदेश में बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन तीसरा शहर है, जहां केंद्र सरकार की स्वामित्व के सर्वे अभियान की शुरुआत की गई है। बीते दो दिनों में सर्वे आफ इंडिया की टीम ने राजस्व विभाग और ग्राम पंचायतों के साथ मिलकर ड्रोन से ग्रामीणों के जमीन व मकान के मालिकाना हक की तस्वीर खींची है। अब तक चार गांव का सर्वे पूरा हो चुका है। गौरतलब है कि उज्जैन जिले में 1100 गांवों में यह सर्वे होना है। अधीक्षक भूअभिलेख प्रीति चौहान ने एक चर्चा के दौरान बताया स्वामित्व के सर्वे अभियान में सर्वे आफ इंडिया, राजस्व विभाग व पंचायत मिलकर काम कर रहे हैं। राजस्व विभाग का काम व्यक्ति के मालिकाना हक की जमीन या मकान के चतुष पैमाने पर चूने की लाइन डालना है। पंचायत के पास मौजूद ग्रामीणों की समग्र आईडी इसके लिए महत्वपूर्ण है। इसके बाद ड्रोन से चर्तुसीमा की फोटों खींची जाती है। इस संपूर्ण प्रक्रिया के पूरा होने से पंचायत के पास प्रत्येक व्यक्ति के मालिकाना हक का दस्तावेज तैयार हो जाएगा। इसके बाद संबंधित व्यक्ति को स्वामित्व का कार्ड बनाकर दिया जाएगा। इस कार्ड के आधार पर व्यक्ति किसी भी बैंक से ऋण आदि सुविधाएं प्राप्त कर सकता है। स्वामित्व का दस्तावेज व्यक्ति को उसकी संपत्ति का मालिकाना हक दिलाएगा। ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्ति की सीमा को लेकर भी अक्सर विवाद होते रहते हैं। स्वामित्व का दस्तावेज मिलने के बाद इस प्रकार की समस्याओं का भी निदान होगा। दो दिनों में चिंतामन क्षेत्र के ग्राम उमरिया खालसा, अजराना, रमजानखेड़ी तथा बादल खेडी का सर्वे पूरा कर लिया गया है।

उज्जैन में दो दिन में चार गांव का हुआ सर्वे

सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में 106 प्रजातियों की घास के मिले प्रमाण

अब पर्यटकों को मिलेगी घास के प्रजातियों की जानकारी

होशंगाबाद। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व क्षेत्र में घास की 106 प्रजातियों उपलब्ध होने के प्रमाण मिले हैं। बड़े घास के मैदान के साथ ही छोटे घने, घास के मैदानों में ये प्रजातियां मौजूद हैं। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व प्रबंधन द्वारा विशेषज्ञों की मदद से फील्ड में तैनात वनकर्मियों को घास के बारे में जानकारी दी जा रही है। यह पहला मौका है जब घास की सभी 106 प्रजातियों को सूचीबद्ध किया गया है। घास की प्रजातियों का उल्लेख एसटीआर प्रबंधन द्वारा प्रकाशित सतपुड़ा फील्ड गाइड में भी किया गया है। एसटीआर क्षेत्र में मिलने वाली घास की प्रजातियों की जानकरी पर्यटकों को भी मिलेगी।

घास की प्रजाति बढ़ाने का सही समय- मानसून के सीजन को खरपतवार और गैरजरूरती पेड़, पौधों को निकालने के लिए सबसे अनुकूल समय माना जाता है। वहीं स्वादिष्ट घास की प्रजाति को बढ़ाने के लिए यह समय सबसे बेहतर होता है। मैदान प्रबंधन के जानकार डॉ. मूर्तकार इन दिनों वन विभाग के फील्ड स्टाफ को प्रशिक्षण दे रहे हैं। वनकर्मियों को घास की पहचान करने के बारे में बताया जा रहा है। एसटीआर के आठ फीसद हिस्से पर ग्रासलैंड को विकसित करने की योजना पर काम किया जा रहा है।

वन्यप्राणियों के लिए पर्याप्त जगह

सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में शाकाहारी वन्यप्राणियों के लिहाज से कई जगहों पर घास मौजूद है। कुछ जगह पर लीया क्रिस्पा, इरेग्रोटिस्टक यूनियोलाइडिस यानि भुरभुरी घास भी देखने को मिली है। इसी तरह केसिया प्यूमीला यानि बड़ी चकौड़ा नाम से प्रसिद्ध घास की प्रजाति भी यहां मौजूद है। घास की प्रचुर मात्रा में उपलब्धता होने से शाकाहारी वन्यप्राणी जैसे, हिरण, चीतल, नीलगाय आदि को आसानी से भोजन उपलब्ध हो रहा है।

बाघ, तेंदुए के लिए भी भोजन

शाकाहारी वन्यप्राणियों को पर्याप्त भोजन मिलने से सबसे जयादा फायदा बाघ और तेंदुए सहित अन्य मांसाहारी वन्यप्राणियों को हो रहा है। शाकाहारी वन्यप्रणियों को घास के रूप में आसानी से भोजन उपलब्ध है, जिसके चलते उन्हें दूर तक जाना नहीं पड़ता। वहीं बाघ व तेंदुए बड़ी घास का सहारा लेकर आसानी से शिकार कर लेते हैं। मैदान सूखने की स्थिति में शिकार के लिए काफी भागदौड़ करनी पड़ती है।

घास की प्रमुख 15 प्रजातियां

छोटी भोंड, गुरलू, डुरसी भाजी, बासिंग घास, छपकी छिप्पा, मुछैल घास, बड़ा चिप्पा (मूंगफली), गोल चिप्पा, बड़ी भोंड, भुरभुसी बड़ी, भैंस कांही, भुरभुसी छोटी, मेमेटी, बड़ी घास, गंजी, बड़ी उरई, पेनीकम, बड़ी चकौड़ा, उरई का, कांस, फ्लेमेंजिमा, नागरमोथा, आगयारी डारा, कंसकोरिया, गोंगल।

सतपुड़ा टाइगर रिजर्व क्षेत्र में घास की 106 प्रजातियां हैं। घास की विभिन्न प्रजातियों के बारे में फील्ड के अमले को जानकारी दी जा रही है। वन्यप्राणियों के लिहाज से मौसम काफी अनुकूल बना हुआ है।
एल कृष्णमूर्ति, क्षेत्र संचालक, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व

पोषण वाटिका महाअभियान के दौरान की घोषणा

कृषि विज्ञान केंद्र लहार को पूर्व मंत्री देंगे पांच लाख

» विधायक डॉ. गोविंद सिंह ने भी किया पौधरोपण

» केंद्रीय मंत्री ने किसानों को ऑनलाइन किया संबोधित

भिंड। जिले के कृषि विज्ञान केंद्र लहार में पोषण वाटिका महाभियान और पौधरोपण का आयोजन किया गया। जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व मंत्री, डॉ. गोविंद सिंह ने किसानों को सब्जी बीज किट का वितरण किया। साथ ही केंद्र के परिसर में पौधरोपण किया। इस अवसर पर पूर्व मंत्री ने कृषि विज्ञान केंद्र लहार को पांच लाख रुपए भी देने की घोषणा की। कृषि विज्ञान केंद्र के प्रधान वैज्ञानिक व प्रमुख डॉ. पुनीत कुमार ने उक्त कार्यक्रम का उद्घाटन किया। कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए उन्होंने किसानों से समन्वित खेती में पौध रोपण के महत्व के बारे में विस्तार से विचार-विमर्श किया। केंद्र के वैज्ञानिक डॉ. रूपेंद्र कुमार, डॉ. कर्णवीर सिंह ने मौजूद किसानों को फसलों की बोवनी के पूर्व मिट्टी परीक्षण कराने, संतुलित मात्रा में उर्वरकों का प्रयोग करने, मिलेट्स-बाजरा, ज्वार, रागी, राजगिरा और कांगनी आदि को आहार में शामिल करने से मनुष्य के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में जानकारी दी। वहीं शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय लहार में आयोजित एक अन्य समारोह के दौरान केंद्र के वैज्ञानिक डॉ. संजय सिंह और डॉ. योगेश चंद्र रिखाड़ी ने विद्यालय की छात्राओं को पोषण में मिलेट को शामिल करने के बारे में भी जानकारी दी।

केंद्रीय मंत्री ऑनलाइन हुए शामिल

इस कार्यक्रम में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष 2023 के उपलक्ष्य में सीधा ऑनलाइन संबोधित किया। कार्यक्रम में 104 किसान और 84 स्कूल की छात्रओं ने भाग लिया। कार्यक्रम के अंत में पूर्व मंत्री डॉ. गोविंद सिंह ने अटारी, जबलपुर के निदेशक डॉ. एसआरके सिंह को कृष विज्ञान केंद्र लहार को निकरा प्रोजेक्ट देने के लिए धन्यवाद दिया। कार्यक्रम का संचालन डॉ. बीपीएस रघुवंशी ने किया। आभार प्रदर्शन डॉ. एनएस भदौरिया ने किया।

कृषि विज्ञान केंद्र टीकमगढ़ में महाअभियान

ग्रामों में किसानों से लगवाए एक हजार पौधे

टीकमगढ़। कृषि विज्ञान केंद्र टीकमगढ़ द्वारा पोषण वाटिका महाअभियान और पौधरोपण का आयोजन किया गया। इसमें केंद्र सरकार के तय कार्यक्रम के तहत कृषि विज्ञान केंद्र टीकमगढ़ में 200 पौधों का वितरण किया गया। जिसमें आम, इमली, आंवला और अनार शामिल थे। इसी की कड़ी में 1000 पौधों को किसानों को अंगीकृत ग्रामों में लगवाने के लिए वितरण करके यथोचित स्थान पर लगाए गए। शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय से 71 छात्राएं, 120 छात्र, 58 कृषक महिलाएं और 22 किसानों ने भाग लिया। कार्यक्रम में डॉ. एसके सिंह ने फलोउद्यान पौधों का महत्व और उपयोगिता, डॉ उल्फत सिंह धाकड़ ने रोग व्याधि, डॉ. आईडी सिंह ने मृदा परीक्षण के बारे में जानकारी दी। छात्राओं को पोषण सुधार के लिए अंकुरित चने, सोयाबीन चिप्स, बिस्कुट और फलों का वितरण किया गया। साथ ही पोषक आहार का महत्व भी बताया गया। कार्यक्रम में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का उद्बोधन भी सभी को सुनाया और दिखाया गया। कार्यक्रम में आचार्य शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय क्रमांक-1 के आरपी कुर्मी की सक्रिय सहभागिता रही। इस दौरान जनप्रतिनिधि सरपंच माडूमार पंचायत हरीश चंद्र राय, जनपद सदस्य टीकमगढ़ शोभरन सिंह राजपूत भी मौजूद थे। कार्यक्रम का संचालन डॉ. एसके खरे ने किया। कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा आयोजित कार्यक्रम को सफल बनाने में जयपाल छिगारहा, हंसनाथ खान, सुदीप रावत, बीके लिटोरिया और मनोहरलाल चढ़ार की अहम भूमिका रही।

कृषि विज्ञान केंद्र सागर में किया गया पौधरोपण

सागर। कृषि विज्ञान केंद्र सागर में केवीके और इफको के सौजन्य से प्रधानमंत्री के जन्म दिवस के अवसर पर अगले वर्ष 2023 में अंतराष्ट्रीय पोषक अनाज वर्ष 2023 के परिपेक्ष्य में पोषण वाटिका महाभियान एवं पौधरोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमे कुल 72 छात्राएं और 85 किसानों ने भाग लिया। कार्यक्रम का आयोजन भारत सरकार के कृषि मंत्रालय एवं कृषि विवि और भारतीय कृषि अनुसंधान के निर्देशानुसार केंद्र के प्रधान वैज्ञानिक एवं प्रमुख डॉ. केएस यादव के मार्गदर्शन में सम्पन्न हुआ। इस अवसर पर ऑनलाइन वर्चुअल रूप से केंद्रीय कृषि मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर, राज्यमंत्री कैलास चौधरी, इफको के अधिकारीयों ने संबोधित किया। कार्यक्रम का आयोजन मुख्य अतिथि इफको के स्टेट मैनेजर सुनील सक्सेना, भोपाल एवं अध्यक्षता डॉ. एमपी दुबे प्रमुख वैज्ञानिक ने की। कार्यक्रम को सफल बनाने में केन्द्र के वैज्ञानिक डॉ. ममता सिंह, डॉ. वैशाली शर्मा एवं डीपी सिंह नोडल अधिकारी एवं इफको के जिला प्रबंधक दीपक पाल का विशेष योगदान रहा। इस अवसर पर किसानों, कृषक महिलाओं और छात्राओं को आम, अमरूद, जामुन, खमेर, क्रोटन, गुलाब, आदि के 1250 पौधों का मुफ्त में दिए गए। साथ ही पौधरोपण भी किया गया।

किसानों को मोटे अनाज की बताई खूबी

सीहोर। आरएके कृषि महाविद्यालय सीहोर में अधिष्ठाता डॉ. एचडी वर्मा की अध्यक्षता में अंतर्राष्ट्रीय पोषक अनाज वर्ष-2023 मनाया गया। कार्यक्रम में विभिन्न गावों के 35 से अधिक किसान, 21 छात्राएं, महाविद्यालय के प्राध्यापक/वैज्ञानिक और कर्मचारी मौजूद थे। इस अवसर पर ऑनलाइन कार्यक्रम के माध्यम से किसानों को केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने अंतर्राष्ट्रीय पोषक अनाज वर्ष-2023 को संबोधित किया। महाविद्यालय के प्रमुख वैज्ञानिक डॉ. एससी गुप्ता, डॉ. एसआर रामगिरी और प्राध्यापक डॉ. एसए अली द्वारा किसानों को मोटे अनाज रागी, ज्वार, बाजरा, कुटकी, सवा फसलों और फलदार पौधों के महत्व को बताया। उन्होंने बताया कि प्रतिदिन के आहार में संपूर्ण पोषण के लिए मोटे अनाजों का समावेश होना चाहिए। इससे बीमारियों के प्रति रोग प्रतिरोधकता क्षमता विकसित होती है। इस उपलक्ष्य में अधिष्ठाता एवं अतिथियों द्वारा सभी किसानों को अमरूद, जामुन, आम और कटहल के पौधे देकर सम्मानित किया गया। इसके बाद महाविद्यालय परिसर में प्रोफेसर, वैज्ञानिक, छात्राओं और कर्मचारियों द्वारा पौध रोपण किया गया। कार्यक्रम का आभार डॉ. पीएस रघुवंशी और संचालन डॉ. डीके रैदास ने किया। कार्यक्रम में उत्कृष्ट किसान प्रहलाद सिंह, महाविद्यालय के प्राध्यापक डॉ. केएन पाठक, डॉ. आरपी सिंह, डॉ. आरसी जैन, इंजी.एसएस कुशवाह, डॉ. जीके नेमा, डॉ. बीआर बरैया, डॉ. एके चौधरी और वरिष्ठ छात्र घनश्याम बामनिया, नीलिमा लोधी, शालू राजपूत, विभूति चौकसे, सेजल ठाकुर ओर नेन्सी राठौर मौजूद थीं।

महाअभियान के दौरान बैतूल-हरदा सांसद ने किया आह्वान

पौधों को लगाएं, उनका पालन-पोषण कर उनको वृक्ष बनाएं

बैतूल। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस के अवसर पर पोषण वाटिका महाअभियान और पौधरोपण कार्यक्रम का आयोजन कृषि विज्ञान केंद्र बैतूल में किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में बैतूल-हरदा सांसद दुर्गादास उइके थे। वहीं विशिष्ट अतिथि के रूप में नगर परिषद अध्यक्ष सुधाकर पंवार, पूर्व नगर परिषद अध्यक्ष जितेंद्र वर्मा, मंडल अध्यक्ष सुनील पंवार के साथ कन्या माध्यमिक शाला बैतूल बाजार की 71 छात्राएं अपनी शिक्षिकाओं के साथ मौजूद रहीं। कार्यक्रम की शुरुआज में कृषि विज्ञान केंद्र के प्रमुख डॉ. वीके वर्मा ने सभी अतिथियों का स्वागत किया गया। साथ ही कार्यक्रम के उद्देश्यों पर प्रकाश डाला। वहीं सांसद दुर्गादास उईके ने दीप प्रज्वलन के बाद 71 कन्याओं का तिलक लगाकर पूजन किया। साथ ही भेंट प्रदान की। सांसद ने कहा कि जन्मदिन एक अवसर होता है, जब हम अपने कार्यों की समीक्षा और भविष्य के लक्ष्यों का निर्धारण करते हैं। उन्होंने छात्राओं से विशेष रूप से आह्वान किया कि केंद्र द्वारा प्रदान किए जा रहे पौधों को लगाएं, उनका पालन-पोषण कर उनको वृक्ष बनाएं।

छात्राओं को दिखाई लघु फिल्म

वहीं कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा इस अवसर पर केंद्रीय कृषि मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर के कार्यक्रम का संजीव प्रसारण दिखाया गया। साथ ही संतुलित पोषण के महत्व को रेखांकित करती हुई एक लघु फिल्म का भी प्रदर्शन किया गया। इसके बाद सांसद ने केंद्र के प्रागंण में पौधरोपण किया। साथ ही छात्राओं को पौधों का व मोटा अनाज से निर्मित कुकीज का वितरण किया।

पौधों का किया वितरण

अपरान्ह में एक किसान संगोष्ठी का आयोजन भी किया गया। जिसमें 140 किसानों और कृषि विभाग के उपसंचालक, ईफको के प्रतिनिधि, पशुपालन विभाग के पशु चिकित्सक, कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों ने भाग लिया। कार्यक्रम के दौरान सामयिक कृषि कार्यों के साथ-साथ पोषण वाटिका और वृक्षों के महत्व की चर्चा हुई। ईफको के द्वारा सब्जी बीज के पैकेट और फलदार पौधों का वितरण किया गया। कार्यक्रम में फलदार व सामाजिक वानिकी के 1350 पौधों का वितरण कृषक मित्रों, किसानों, अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों आदि को किया गया।

साक्षात्कार

भोपाल। मैं गौ संवर्धन बोर्ड की संवैधानिक नियमावली के दायरे में एवं राज्य शासन के अधिकारों की परिधि में ही रहकर प्रदेश में गायों के संरक्षण एवं संवर्धन के दायित्वों का निर्वहन करने में सदैव तत्पर रहता हूं। सिर्फ सरकार गौशालाए नहीं चला सकती है। हां, वो अपने हिस्से का काम बाखूबी कर रही है। गौ-पालन और संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए लोगों को प्रोत्सहित भी कर रही है। गौशाला के संचालन के लिए स्वयं सेवी संस्थाओं, एनजीओ और लोगों को आगे आना होगा। तभी इनका संचालन संरक्षण सही से होगा। हम इसके लिए विधिवत जरूरतमंदों को प्रशिक्षण भी दे रहे हैं। यह बात मप्र गौ संवर्धन बोर्ड के अध्यक्ष स्वामी अखिलेश्वरानंद ने जागत गांव हमार से एक खास बातचीत के दौरान कही।

मप्र गौ संवर्धन बोर्ड के अध्यक्ष स्वामी अखिलेश्वरानंद 'जागत गांव हमार' से खास बातचीत के दौरान बोले

भंग गौ-सदन बहाल हो जाएं तो सड़क पर नहीं दिखेंगी गाय

सरकार नहीं चला सकती गौशाला, लोगों का आना होगा आगे

स्वामी अखिलेश्वरानंद ने कहा कि आज मप्र ही नहीं, बल्कि देशभर में आवारा गौ-वंश सबसे बड़ी समस्या बन गया है। इसके लिए लोग सरकार को जिम्मेदार ठहराते हैं। जबिक सच्चाई यह है कि लोग गाय तो पालते हैं, लेकिन दूध दुहने के बाद उसे छोड़ देते हैं। हां, अब इस पर लगाम लगाने के लिए सरकार ने टैगिंग की व्यवस्था शुरू कर दी है। जिसमें पालतू गायों के कान में पीला टैग लगाया जाता है और आवार गौ-वंश को लाल टैग लगाया जाता है। हालांकि हम चाहते थे कि टैगिंग व्यवस्था के बजाए चिप लगाई जाए। एक व्यवस्था यह भी की गई है कि अगर पशु पालक अपनी गाय को छोड़ता है तो पकड़े जाने पर उससे अर्थदंड लेकर छोड़ दिया जाता है, लेकिन अगर तीसरी वार वही गाय मिले तो उसे कांजी हाउस भेज दिया जाता है। अखिलेश्वरानंद ने एक सवाल पर कहा कि आपको जानकर हैरानी होगी कि अविभाज्य मप्र में दस गौसदन थे। जिसमें 72 हजार एकड़ जमीन थी। लेकिन तत्कालीन सरकार उसे भंग कर दिया। हां अगर आज वो सदन बहाल कर दिए जाएं तो मैं दावा करता हूं कि मध्यप्रदेश में एक भी गाय सड़क पर नहीं दिखेगी।

» सरपंचों ने गौशाला संचालन और संरक्षण से खड़े कर दिए हाथ

» गौशालाओं में अब 40 फीसदी दुधारू गायों को मिलेगा बढ़ावा

सरपंचों ने खड़े कर दिए हाथ

जब मप्र में कांग्रेस सरकार आई तो उसके मुख्यमंत्री कमलनाथ ने रेवड़ी की तरह गौ-शालाएं खोलने और संचालन की घोषणा कर दी। लेकिन आज हालात यह हो गए हैं कि उनकी नीतियों के कारण पंचायतों में गौशाला की देखरेख और गौ संरक्षण करने से सरपंचों ने हाथ खड़े कर दिए हैं। कमलनाथ ने जो गड्ढे किए थे अब हम उन्हें पाट रहे हैं।

जबलपुर में बन रहा गौ-वंश वन्य बिहार

मप्र के संस्कारधानी जबलपुर में 530 एकड़ में गौ-वंश वन्य बिहार विकसित किया जा रहा है। इसके बन जाने से यहां के किसानों को आवारा गौवंश से छुटकारा मिल जाएगा। चूंकि उनकी फसल पूरी तरह से सुरक्षित हो जाएगी।

गौ-संवर्धन बोर्ड के नवाचार

अखिलेश्वरानंद ने गौ-संवर्धन बोर्ड के नवाचारों को लेकर चर्चा करते हुए कि हम कई तरह के नवाचार कर रहे हैं। इसके पीछे हमार लक्ष्य है कि गौ-शालाएं स्वरोजगारमुखी बने, आत्मनिर्भर रहें। इसमें मुख्य रूप से अब मप्र की हर गौशाला में गोबर गैस प्लांट लगाए जाएंगे। गौशालाओ में बिजली तैयार की जाएगी। इससे बड़े पैमाने पर सीएनजी का उत्पान किया जाएगा। जिसे प्रत्साहित करने के लिए राज्य सरकार सब्सिडी भी दे रही है। यही नहीं, हर गौ-शाला में सोलर पैनल लगाए जाएंगे।

बनाएंगे गौ-काष्ठ

उन्होंने कहा कहा कि अब गौशालाओं में गौकाष्ठ भी बनाया जाएगा। गौ-काष्ठ बनाने की मशीन 48 हजार की आती है। इसे कोई भी खरीद सकता है। जब गौ-काष्ठ बनने शुरू हो जाएंगे तो हमारे जंगर पूरी तरह से सुरक्षित हो जाएंगे। लकड़ी बचेगी और उसकी चोरी भी रुक जाएगी। साथ ही इसी गौ-काष्ठ से अंतिम संस्कार भी किया जाएगा। साथ गोबर के प्लांटों से निकलने वाले रामटेरियल से केचुआ खाद भी बनाई जाएगी।

दुधारू गाय को मिलेगा बढ़ावा

हम चाहते हैं कि मप्र में दुधारू गायों को बढ़ावा दिया जाए। इससे किसानों और पशु पालकों की आय बढ़े। इसलिए अब राज्य की गौशालाओं में 40 प्रतिशत दुधारू गाय रखी जाएंगी। जो भारत की मूल नस्त की गाय हैं, उन्हें ही प्राथमिकाता दी जाएगी। जिसमें गिरि, डांगी, हरियाणा, कांकरेज, केनकथा, ग्लाओ, मालवी, नागोरी, निमरी, राठी, रेड कंधारी, लाल सिंधी, साहीवाल और थारपारकर शामिल हैं।

खेती में गौवंश की अहम भूमिका

गौ-पालन एवं गौ संरक्षण और गौ-सेवा भारत के प्रत्येक परिवार की स्वाभाविक और पारम्परिक अभिरुचि रही है, इसका सबसे बड़ा कारण भारतीय कृषि में गौवंश का अभूतपूर्व योगदान रहा है। इसीलिए भारतीय परिवारों में गौ-पालन, गौ-सेवा, गौचारण की प्रवृत्ति रही है। गायों को संरक्षित करने के लिए गौग्रास निकालने की परम्पवरा को पुनर्जीवित करने का यह अनुकूल समय है।

सर्वाधिक गौवंश मप्र में

अखिलेश्वरानंद ने कहा कि हमारा प्रदेश गायों के पालन, संरक्षण, संवर्धन के लिए सर्वाधिक अनुकूल है। देश का सर्वाधिक गौवंश मप्र में है। देश के किसी भी राज्य में इतना विशाल जंगल (95 हजार वर्ग किमी का वन्य परिक्षेत्र) नहीं है। शासन की गौ-पालन की स्पष्ट नीति, प्रदेश का मुखिया गौभक्त, गायों के प्रति संवेदनशील तथा कृषि उत्पादन के क्षेत्र में मप्र अग्रणी राज्य, यहां का जैविक उत्पादन एवं उसकी मांग अनेक प्रदेशों में है।

अनुसूचित जाति के हितग्राहियों को सरकार पढ़ागी पशु पालन का पाठ

» अक्टूबर महीने में भोपाल में दिया जाएगा निः शुल्क प्रशिक्षण

भोपाल। पशुपालन एवं डेयरी विभाग द्वारा अनुसूचित जाति के हितग्राहियों को लिए राज्य पशुपालन प्रशिक्षण संस्थान, भोपाल में अक्टूबर में निः शुल्क तीन दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया जा रहा है। पहले दो दिन सैद्धांतिक और अंतिम दिन व्यवहारिक प्रशिक्षण दिया जाएगा। यह प्रशिक्षण गौ-भैंस, बकरी, मुर्गी और सूकर पालन में दिया जाएगा। संचालक पशुपालन डॉ. आरके मेहिया ने बताया कि अनुसूचित जाति उपयोजना-विशेष केंद्रीय सहायता मद में आयोजित होने वाले इस प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्देश्य अनुसूचित जाति के लोगों का पशुपालन में कौशल विकास कर आय के बेहतर विकल्प के लिये तैयार करना है। हितग्राहियों को निःशुल्क आवास और भोजन की व्यवस्था संस्थान द्वारा की जाएगी। इसके आलावा हितग्राहियों को तीन दिन के पारिश्रमिक के नुकसान के एवज में 2500 रुपए की राशि भरपाई के रूप में दी जाएगी।

आने-जाने का मिलेगा किराया

प्रशिक्षण के लिए आने वाले हितग्राहियों का भोपाल आने-जाने का द्वितीय श्रेणी रेल एवं बस का वास्तविक किराया टिकट के सत्यापन के बाद मिलेगा। साथ ही भोपाल स्टेशन या बस स्टैंड से प्रशिक्षण संस्थान तक आने-जाने के लिए 200 रुपए भी दिए जाएंगे।

कार्यालय में करें संपर्क

प्रशिक्षण के इच्छुक महिला-पुरुष अजा हितग्राही अपने जिले के नजदीकी पशु औषधालय, पशु चिकित्सालय, कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र या उप संचालक कार्यालय में संपर्क कर अपना नाम दर्ज करा सकते हैं। प्रशिक्षण कार्यक्रम में उपस्थित होने की जानकारी संबंधित जिले के उप संचालक द्वारा हितग्राही को दी जाएगी।

किसानों को अक्टूबर में मिलेगी पिछले साल के फसल बीमा राशि!

भोपाल। प्रदेश में पिछले साल अतिवर्षा से क्षतिग्रस्त हुई सोयाबीन, अरहर सहित अन्य फसलों के बीमा की राशि किसानों को अक्टूबर में मिलने की संभावना है। कृषि विभाग ने किसानों के प्रकरण बीमा कंपनियों को भेज दिए हैं। अब राजस्व विभाग के साथ फसल नुकसान की जानकारी को अंतिम रूप दिया जा रहा है। इसके आधार पर बीमा कंपनियां फसल बीमा के प्रकरणों को अंतिम रूप देकर बीमा का भुगतान करेंगी। इसके लिए कृषि विभाग के अधिकारी बीमा कंपनियों के अधिकारियों के साथ भी लगातार बैठकें कर रहे हैं। आयुक्त भू-अभिलेख ज्ञानेश्वर पाटिल ने बताया कि डाटा इंट्री में जो त्रुटियां थीं, उनका कृषि विभाग के अधिकारियों के साथ मिलकर परीक्षण किया जा रहा है। इसे जल्द ही अंतिम रूप दे दिया जाएगा। उधर, कृषि विभाग के अधिकारियों का कहना है कि इस माह प्रक्रिया पूरी हो जाएगी और फिर बीमा कंपनियां प्रकरणों को अंतिम रूप दे देंगी। गौरतलब है कि खरीफ सीजन 2020 में 43 लाख किसानों ने फसल बीमा कराया था, जो कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में सर्वाधिक था।

आवश्यकता

भोपाल, इंदौर, उज्जैन, सागर और मुरैना से प्रकाशित

जागत गांव हमार

कृषि और पंचायत पर आधारित साप्ताहिक समाचार पत्र के लिए जिला, जनपद स्तर पर संवाददाता चाहिए।

संपर्क करें

जबलपुर, प्रवीण नामदेव-9300034195
शहडोल, राम नरेश वर्मा-9131886277
नरसिंहपुर, प्रहलाद कौरव-9926569304
विदिशा, अवधेश दुबे- 9425148554
सागर, अनिल दुबे-9826021098
राहतगढ़, भगवान सिंह प्रजापति-9826948827
दमोह, बंटी शर्मा -9131821040
टीकमगढ़, नीरज जैन -9893583522
राजगढ़, गजराज सिंह मीणा -9981462162
बैतूल, सतीष साहू-8982777449
मुरैना, अवधेश दण्डोतिया -9425128418
शिवपुरी, खेमराज मौर्य-9425762414
भिण्ड- नीरज शर्मा-9826266571
खरगौन, संजय शर्मा-7694897272
सतना, दीपक गौतम-9923800013
रीवा-धनंजय तिवारी-9425080670
रतलाम, अमित निगम-70007141120
झाबुआ-नोमान खान-8770736925

कार्यालय का पताः- लाजपत भवन प्रथम तल, आईसीआईसीआई बैंक के पास, एमपी नगर, जोन-1, भोपाल, मप्र,
संपर्क करें- 07554064144, 9229497393, 9425048589

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक अजय कुमार द्विवेदी द्वारा जय माता प्रिंटर्स, मं.नं.1, पेमदीपुरा बापू कालोनी के पास चिकलोद रोड, जहांगीराबाद, भोपाल(मप्र) से मुद्रित एवं एमआईजी 30, शिवकल्प, अयोध्या बाईपास भोपाल, मप्र से प्रकाशित। संपादकः अजय कुमार द्विवेदी, स्थानीय संपादक- **सतीश उपाध्याय, संपर्क** -9229497393, 9425048589, ईमेलः- jagatgaon.bpl@gmail.com (सभी विवादों का न्याय क्षेत्र भोपाल होगा)